भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 4826

बुधवार, 29 मार्च, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए
स्टार्टअप इंडिया योजना

4826. श्री रामशिरोमणि वर्माः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टार्टअप इंडिया योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;
(ख) उत्तर प्रदेश में उपर्युक्त योजना के अंतर्गत स्वीकृत, आवंटित और उपयोग की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;
(ग) उत्तर प्रदेश में इस योजना के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्यों और प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए उक्त योजना के अंतर्गत कोई कार्यशाला आयोजित की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क): सरकार ने 16 जनवरी, 2016 को स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की, जिसका उद्देश्य नवप्रयोग, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए सुदृढ़ इकोसिस्टम का निर्माण करना और देश के स्टार्टअप इकोसिस्टम में निजी निवेश को बढ़ावा देना है।

इस पहल का उद्देश्य पूरा करने के लिए, सरकार ने स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना की शुरूआत की है जो सरकारी सहायता, स्कीमों और पहलों की आधारशिला रखती है जिनकी परिकल्पना देश में गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम का निर्माण करने के लिए की गई है। इस कार्य योजना में 'सरलीकरण एवं सहायता', 'निधीयन सहायता और प्रोत्साहन' तथा 'उद्योग-शिक्षा जगत भागीदारी एवं इन्क्यूबेशन' जैसे क्षेत्रों से संबंधित 19 कार्य मदें शामिल हैं।

इस दिशा में सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत में मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 के 442 से बढ़कर वर्ष 2023 (28 फरवरी, 2023 तक) में 92,683 हो गई है।

(ख) और (ग): स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत, स्टार्टअप के व्यवसाय चक्र के विभिन्न चरणों में पूंजी उपलब्ध कराने के लिए, सरकार स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) और स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) को कार्यान्वित कर रही है। ये दोनों स्कीमें पूरे देश में लागू की गई हैं।

स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष स्कीम को जून 2016 में 10,000 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ अनुमोदित और स्थापित किया गया था जिसे कार्यान्वयन की प्रगति के आधार पर 14वें और 15वें वित्तीय आयोग के कार्यकाल में उपलब्ध कराया जाना है, ताकि भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को अत्यावश्यक बढ़ावा दिया जा सके और वे घरेलू पूंजी तक पहुंच प्राप्त करने में सक्षम हो सकें। इस स्कीम का संचालन भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) द्वारा किया जा रहा है।

एफएफएस के तहत, स्कीम सीधे तौर पर स्टार्टअप्स में निवेश नहीं करती बल्कि डॉटर फंड के नाम से जानी जाने वाली सेबी-पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधियों (एआईएफ) को पूंजी उपलब्ध कराती है, जो बदले में इक्विटी और इक्विटी संबद्ध साधनों के जरिए विकासशील भारतीय स्टार्टअप्स में निवेश करते हैं। सिडबी को, उपयुक्त डॉटर फंड का चयन करके तथा प्रतिबद्ध पूंजी के संवितरण की निगरानी करके इस निधि के संचालन का अधिदेश दिया गया है। एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ को एफएफएस के तहत प्रतिबद्ध राशि का कम से कम दो गुना स्टार्टअप्स में निवेश करना अपेक्षित है।

28 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, एफएफएस के तहत सिडबी द्वारा 107 एआईएफ को 8,590 करोड़ रूपए की प्रतिबद्धता दी गई है। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश राज्य में एफएफएस के तहत सहायता प्राप्त एआईएफ ने 20 से अधिक स्टार्टअप्स में 300 करोड़ रूपये से अधिक निवेश किया है।

स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को 945 करोड़ रूपए के कॉर्पस के साथ वर्ष 2021-22 से 4 वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया है। इस स्कीम का उद्देश्य स्टार्टअप्स को अवधारणा के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह स्कीम 1 अप्रैल, 2021 से कार्यान्वित की गई है।

एसआईएसएफएस के तहत, विशेषज्ञ सलाहकार समिति (ईएसी) एसआईएसएफएस के समग्र निष्पादन और निगरानी के लिए उत्तरदायी है। यह ईएसी स्कीम के तहत निधि के आबंटन के लिए इन्क्यूबेटर्स का मूल्यांकन और चयन करती है। स्कीम के प्रावधानों के अनुसार, चयनित इन्क्यूबेटर्स स्कीम के दिशानिर्देशों में उल्लिखित मानदंडों के आधार पर स्टार्टअप्स का चयन करते हैं।

28 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, एसआईएसएफएस के तहत ईएसी द्वारा 148 इन्क्यूबेटर्स को 537.25 करोड़ रूपए अनुमोदित किए गए हैं। विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, ईएसी द्वारा 8 इंक्यूबेटर्स को 30 करोड़ रूपए अनुमोदित किए गए हैं और अनुमोदित इंक्यूबेटर्स पर 16.70 करोड़ रूपए का उपयोग (वितरित) किया गया। स्कीम के अंतर्गत अनुमोदित इंक्यूबेटर्स ने 8.88 करोड़ रूपए की अनुमोदित राशि हेतु उत्तर प्रदेश राज्य से 56 मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का चयन किया है।

(घ) और (ङ) : स्टार्टअप इंडिया पहल की शुरुआत 16 जनवरी, 2016 को की गई जिसका उद्देश्य भारत की स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए मजबूत परिवेश का निर्माण करना है जो आगे चलकर हमारी आर्थिक वृद्धि को आगे बढ़ाएगा, उद्यमशीलता में सहायता

करेगा तथा बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों को सक्षम बनाएगा। यह अन्य के साथ-साथ, नीतियों और पहलों के माध्यम से महिला उद्यमियों के सुदृढ़ीकरण तथा सक्षम नेटवर्क के सृजन में सहायता करता है। स्टार्टअप इंडिया पहल, जो लिंग भेदभाव नहीं करती है और अखिल भारतीय स्तर पर कार्यान्वित की जाती है, के अंतर्गत शुरू किए गए विभिन्न कार्यक्रमों का ब्यौरा **अनुबंध-I** पर दिया गया है।

उपर्युक्त के अलावा, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, सरकार ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों जैसे गौतमबुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी आदि में स्टार्टअप इंडिया पहल और उसके तहत कार्यान्वित कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करने और जागरुकता फैलाने के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन किया है।

स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत देश में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देने के संबंध में सरकार के सतत प्रयासों के परिणामस्वरूप मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की संख्या वर्ष 2016 के 442 से बढ़कर वर्ष 2023 (28 फरवरी, 2023 तक) में 92,683 हो गई है। इनमें से लगभग 47 प्रतिशत स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला निदेशक अवश्य है।

विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में, डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त 8,579 स्टार्टअप्स में से डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त 4,240 स्टार्टअप्स (49.4 प्रतिशत) में कम से कम एक महिला निदेशक अवश्य है। 28 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार कम से कम एक महिला निदेशक वाले डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-II** पर दिया गया है।

इसके अलावा, सरकार ने देश में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय भी किए हैं:

i. महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स में इक्विटी और ऋण, दोनों के अंतर्वाह को प्रोत्साहित करने के लिए, सिडबी द्वारा संचालित स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष स्कीम में 10 प्रतिशत निधि (1000 करोड़ रुपए) महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए आरक्षित है।

ii. महिला क्षमता विकास कार्यक्रम (विंग) महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष क्षमता विकास कार्यक्रम है जो महत्वाकांक्षी और स्थापित, दोनों प्रकार की महिला उद्यमियों की पहचान करता है तथा उनकी स्टार्टअप यात्रा में सहायता करता है। कई प्रकार के व्यवसायों के लिए कार्यशालाएं शुरू की गई हैं जिनमें प्रौद्योगिकी, निर्माण, उत्पाद, मशीन, खाद्य, कृषि, शिक्षा आदि शामिल हैं। ये कार्यशालाएं महिला उद्यमियों और अन्य हितधारकों को महिला उद्यमियों द्वारा अनुभव की जा रही मुख्य चुनौतियों पर चर्चा के लिए प्रोत्साहित करने के प्लेटफार्म के रूप में कार्य करती हैं। विंग कार्यशालाएं सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों तथा

चुनौतियों से उबरने के अनुभव साझा करने तथा भारतीय संदर्भ में अपनाए गए व्यावसायिक मॉडलों से पूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए सहायक वातावरण का निर्माण करती हैं। 9 राज्यों में कुल 24 कार्यशालाएं आयोजित की गई जिनसे 1,300 से अधिक महिला उद्यमी लाभान्वित हुई।

iii. लोक कल्याण के लिए 3 महीने की एक्सेलरेशन सहायता के साथ महिला उद्यमियों के नेतृत्व वाले 20 प्रौद्योगिकी स्टार्टअप्स की सहायता हेतु जोन स्टार्टअप्स के सहयोग से महिला उद्यमियों के लिए वर्चुअल इन्क्यूबेशन कार्यक्रम आयोजित किए गए।

iv. स्टार्टअप इंडिया पोर्टल पर महिला उद्यमियों के लिए समर्पित एक वेब पेज बनाया गया है। इस वेब पेज में केंद्र और राज्य, दोनों सरकारों द्वारा महिला उद्यमियों के लिए विभिन्न नीतिगत उपाय दिए गए हैं।

v. सरकार द्वारा आयोजित विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों के माध्यम से, तथा प्रिंट और सोशल मीडिया प्लेटफार्म के माध्यम से ऐसी मौजूदा स्कीमों के संबंध में भी जागरूकता पैदा करती है जो महिला उद्यमियों सहित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को सहायता प्रदान करती है।

इसके अतिरिक्त, स्टार्टअप इकोसिस्टम को सहायता प्रदान करने के संबंध में राज्य स्टार्टअप रैंकिंग, जो मुख्य रूप से महिला उद्यमियों को सहायता, सहकारी संघवाद की मूल भावना के अनुरूप नीतियां तैयार करने और उन्हें कार्यान्वित करने के संबंध में एक दूसरे से सीखने और एक दूसरे की मदद करने सहित बेहतर पद्धतियों की पहचान करने से जुड़ा कार्यक्रम है, जिसकी सहायता से स्टार्टअप्स को सहयोग प्रदान करने के लिए 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने नीतियों को अधि सूचि त किया है।

देश में नवप्रयोग, समावेशिता एवं विविधता तथा उद्यमिता की गहनता, गुणवत्ता और विस्तार का पता लगाने के लिए, सरकार ने राष्ट्रीय स्टार्टअप्स पुरस्कार ('एनएसए') की शुरूआत की है। एनएसए के विजेता बैंगलुरू, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई, मुंबई, मैसूरु, भोपाल, एर्नाकुलम, गुरूग्राम, कोच्चि, लखनऊ, मडगांव, सोनीपत, तिरूवनंतपुरम आदि से हैं। एनएसए के तीनों संस्करणों (वर्ष 2020, 2021 और 2022) में महिला नेतृत्व वाले स्टार्टअप्स के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी थी।

सरकार ने महिला उद्यमिता इकोसिस्टम में सूचना की असंगतता को दूर करने के उद्देश्य से एग्रीगेटर प्लेटफॉर्म के रूप में वर्ष 2018 में महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (डब्ल्यूईपी) की भी शुरूआत की है। सभी मौजूदा पहलों को प्रदर्शित करने और विषय की जानकारी प्रदान करने के लिए, यह संभावित और वर्तमान दोनों महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने की दिशा में कार्य करता है।

*****

अनुबंध-I

दिनांक 29.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4826 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

<u>स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत कार्यान्वित कार्यक्रम</u>

देश भर में स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और स्टार्टअप्स में निजी निवेश के लिए सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न कार्यक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

1. **<u>स्टार्टअप इंडिया कार्य योजना:</u>** 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया के लिए एक कार्य योजना का अनावरण किया गया था। कार्य योजना में "सरलीकरण और हैंडहोल्डिंग", "वित्त पोषण सहायता और प्रोत्साहन" और "उद्योग-शिक्षाविद साझेदारी और इंक्यूबेशन" जैसे क्षेत्रों में फैले 19 कार्य मद शामिल हैं। इस कार्य योजना ने देश में एक वाईब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम के सृजन के लिए सरकारी सहायता, स्कीमों और प्रोत्साहनों की नींव रखी है ।
2. **<u>स्टार्टअप्स के लिए निधियों का कोष (एफएफएस) स्कीम:</u>** सरकार ने स्टार्टअप्स की निधीयन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए 10,000 करोड़ रुपए के कॉर्पस के साथ एफएफएस स्थापित किया है। डीपीआईआईटी एफएफएस की निगरानी एजेंसी है तथा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) इसकी प्रचालन एजेंसी है। 10,000 करोड़ रुपए के कुल कॉर्पस को स्कीम की प्रगति और निधि की उपलब्धता के आधार पर 14वें और 15वें वित्त आयोग के कार्यकाल के दौरान उपलब्ध कराने की परिकल्पना की गई है। इसने न सिर्फ प्रारंभिक चरण में, शुरूआती स्तर और विकास स्तर पर स्टार्टअप्स के लिए पूंजी उपलब्ध कराई है बल्कि घरेलू पूंजी एकत्र करने की सुविधा के संदर्भ में एक उत्प्रेरक की भूमिका निभाकर विदेशी पूंजी पर निर्भरता को कम किया है और घरेलू रूप से विकसित और नये वेंचर कैपिटल फंड को बढ़ावा दिया है।
3. **<u>स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना (सीजीएसएस) :</u>** सरकार ने सेबी पंजीकृत वैकल्पिक निवेश निधि के तहत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और वेंचर डेबिट फंड्स (वीडीएफ़) द्वारा डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की शुरूआत की है। सीजीएसएस का उद्देश्य पात्र उधारकर्ताओं जैसे डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को वित्तपोषित करने के लिए सदस्य संस्थानों (एमआई) द्वारा एक निर्दिष्ट सीमा तक दिए गए ऋणों के लिए क्रेडिट गारंटी प्रदान करना है।
4. **<u>विनियामक सुधार</u>:** ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने, पूंजी जुटाने को आसान बनाने और स्टार्टअप परिवेश पर अनुपालन बोझ को कम करने के लिए वर्ष 2016 से सरकार ने 50 से अधिक विनियामक सुधार किए हैं।
5. **<u>अधिप्राप्ति को आसान बनाना:</u>** अधिप्राप्ति को आसान बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रालयो/विभागों को निर्देश दिया गया है कि वे गुणवत्ता और तकनीकी विशिष्टताओं को पूरा करने वाले सभी स्टार्टअप्स के लिए सार्वजनिक अधिप्राप्ति में पूर्व कारोबार और पूर्व अनुभव की शर्तों में छूट प्रदान करें। इसके अलावा, गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) स्टार्टअप रनवे विकसित किया गया है जो स्टार्टअप्स के लिए सरकार को सीधे उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए एक समर्पित स्थान है।

6. **<u>बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए सहायता</u>:** स्टार्टअप पेटेंट आवेदनों की त्वरित जांच और निपटान के लिए पात्र हैं। सरकार ने स्टार्टअप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण (एसआईपीपी) की शुरूआत की है जो स्टार्टअप्स को पंजीकृत सुविधा प्रदाताओं के जरिये उपयुक्त आईपी कार्यालयों में केवल सांविधिक शुल्क का भुगतान करके पेटेंट डिजाइन तथा व्यापार चिह्न के लिए आवेदन फाइल करने की सुविधा प्रदान करता है। इस स्कीम के तहत सुविधा प्रदाता विभिन्न आईपीआर संबंधी सामान्य परामर्श तथा अन्य देशों में आईपीआर का संरक्षण एवं संवर्धन करने संबंधी जानकारी प्रदान करने के लिए उत्तरदायी हैं। सरकार पेटेंट, व्यापार चिह्न अथवा डिजाइन के लिए सुविधा प्रदाताओं के पूरे शुल्क को वहन करती है, चाहे उनकी संख्या कितनी भी क्यों न हो तथा स्टार्टअप्स केवल देय सांविधिक शुल्क की लागत को वहन करते हैं। स्टार्टअप्स को अन्य कंपनियों की तुलना में पेटेंट फाइल करने में 80 प्रतिशत की छूट तथा व्यापार चिह्न फाइल करने में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की जाती है।
7. **<u>श्रम और पर्यावरण कानूनों के तहत स्व-प्रमाणन:</u>** स्टार्टअप्स को निगमन की तारीख से 3 से 5 वर्ष की अवधि के लिए, 9 श्रम और 3 पर्यावरण कानूनों के तहत उनके अनुपालन के स्व-प्रमाणित करने के लिए अनुमति दी जाती है।
8. **<u>3 वर्ष के लिए आयकर में छूट:</u>** 1 अप्रैल, 2016 को या उसके बाद निगमित स्टार्टअप्स आयकर छूट के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिन मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स को अंतर-मंत्रालयी बोर्ड का प्रमाण-पत्र प्राप्त है, उन्हें निगमन से लेकर 10 वर्ष की अवधि में से लगातार 3 वर्षों के लिए आयकर से छूट मिलती है।
9. **<u>भारतीय स्टार्टअप्स की अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंच</u>:** स्टार्टअप इंडिया पहल के तहत प्रमुख उद्देश्यों में से एक विभिन्न संपर्क मॉडलों के जरिये भारतीय स्टार्टअप परिवेश को वैश्विक स्टार्टअप परिवेशों के साथ जुड़ने में मदद करना है। यहां अंतर्राष्ट्रीय रूप से सरकार से सरकार के बीच भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भागीदारी तथा वैश्विक समारोहों के आयोजन के जरिये किया गया है। स्टार्टअप इंडिया ने 15 से अधिक देशों के साथ संपर्क स्थापित किया है जो भागीदार राष्ट्रों के स्टार्टअप्स के लिए सुविधाजनक प्लेटफॉर्म और परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सहायता प्रदान करता है।
10. **<u>स्टार्टअप के लिए त्वरित निकास</u> :** सरकार ने स्टार्टअप्स को 'फास्ट ट्रैक फर्म' के रूप में अधिसूचित किया है जिससे वे अन्य कंपनियों के लिए निर्धारित 180 दिनों की तुलना में 90 दिनों के भीतर प्रचालन का समापन करने में सक्षम होते हैं।
11. **<u>स्टार्टअप इंडिया हब</u> :** सरकार ने 19 जून 2017 को एक स्टार्टअप इंडिया ऑनलाइन हब का शुभारंभ किया है जो भारत में उद्यमिता परिवेश के सभी हितधारकों के लिए अपनी तरह का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ताकि वे एक-दूसरे का पता लगा सकें, परस्पर जुड़ सकें और मिलकर कार्य कर सकें। ऑनलाइन हब स्टार्टअप्स, निवेशकों, फंड्स, मेंटर्स, शैक्षणिक संस्थानों, इंक्यूबेटर्स, कार्पोरेट, सरकारी निकायों और अन्य को होस्ट करता है।
12. **<u>अधिनियम की धारा 56 की उप-धारा (2) के खंड (vii) (ख) के प्रयोजन के लिए छूट (2019):</u>** डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप आयकर अधिनियम की धारा 56(2)(vii)(ख) के प्रावधानों से छूट के पात्र हैं।
13. **<u>स्टार्टअप इंडिया शोकेस</u> :** स्टार्टअप इंडिया शोकेस वर्चुअल प्रोफाइल के रूप में प्रदर्शित विभिन्न डीपीआईआईटी और स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रमों के माध्यम से चुने गए देश के सर्वाधिक संभावना वाले स्टार्टअप्स के लिए एक ऑनलाइन डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शाए गए स्टार्टअप अपने क्षेत्र में सर्वोत्तम स्टार्टअप के रूप में उभरे हैं। ये नवप्रयोग अन्य के साथ-साथ फिनटेक, एंटरप्राइजटेक, सामाजिक प्रभाव, हेल्थटेक, एडटेक

जैसे विभिन्न अत्याधुनिक क्षेत्रों से हैं। इन स्टार्टअप्स ने महत्वपूर्ण समस्याओं का समाधान किया है और अपने संबंधित क्षेत्र में उत्कृष्ट नवप्रयोग दर्शाया है। परिवेश संबंधी हितधारकों को पोषित किया है और सहायता प्रदान की है और इस प्रकार इस प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति को वैध ठहराया है।

14. **राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद :** सरकार ने देश में नवप्रयोग और स्टार्टअप को बढावा देने के लिए एक सशक्त परिवेश के निर्माण हेतु आवश्यक उपायों पर सरकार को सलाह देने के लिए जनवरी, 2020 में राष्ट्रीय स्टार्टअप परिषद को अधिसूचित किया ताकि सतत आर्थिक विकास और बड़े पैमाने पर रोजगार अवसरों का सृजन किया जा सके। पदेन सदस्यों के अतिरिक्त, इस परिषद में कई गैर-सरकारी सदस्य है जो स्टार्टअप परिवेश के विभिन्न हितधारकों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

15. **स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह :** स्टार्टअप इंडिया के 5 वर्ष पूरे होने पर समारोह में स्टार्टअप इंडिया- आगे की राह का शुभारंभ 16 जनवरी, 2021 को किया जिसमें स्टार्टअप्स के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के प्रोत्साहन के लिए कार्रवाई योग्य योजना, विभिन्न सुधारों को लागू करने में प्रौद्योगिकी की बड़ी भूमिका, हितधारकों की क्षमता निर्माण और डिजिटल आत्मनिर्भर भारत को सक्षम बनाना शामिल है।

16. **स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम (एसआईएसएफएस) :** किसी उद्यम के विकास के आरंभिक स्तरों पर उद्यमों के लिए पूंजी की आसान उपलब्धता अनिवार्य है। इस स्तर पर अपेक्षित पूंजी, बेहतर व्यवसाय आइडिया वाले स्टार्टअप्स के लिए बने रहने या समाप्त होने की स्थिति उत्पन्न कर देती है। इस स्कीम का उद्देश्य संकल्पना के साक्ष्य, प्रोटोटाइप विकास, उत्पाद परीक्षण, बाजार प्रवेश और वाणिज्यीकरण के लिए स्टार्टअप्स को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। वर्ष 2021-22 से आरंभ करके 4 वर्षों की अवधि के लिए एसआईएसएफएस स्कीम के अतंर्गत 945 करोड़ रूपये स्वीकृत किये गये हैं।

17. **राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार (एनएसए) :** राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार ऐसे उत्कृष्ट स्टार्टअप्स और इकोसिस्टम इनेब्लर्स की पहचान करने और पुरस्कृत करने की एक पहल है जो अभिनव उत्पादों या समाधानों और विकास योग्य उद्यमों का निर्माण कर रहे हैं, जिनमें रोजगार सृजन या संपतति सृजन की अत्यधिक क्षमता है और माप-योग्य सामाजिक प्रभाव दर्शा रहे हैं। सभी अंतिम प्रतिभागियों को विभिन्न मामलों यथा निवेशक कनेक्ट, मेंटरशिप, कार्पोरेट कनेक्ट, गवर्नमेंट कनेक्ट, अंतर्राष्ट्रीय बाजार पहुंच, विनियामक सहायता, दूरदर्शन पर स्टार्टअप इंडिया चैंपियन और स्टार्टअप इंडिया शोकेस के संबंध में सहायता प्रदान की जाती है।

18. **राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क (एसआरएफ) :** यह प्रतिस्पर्धी संघवाद की ताकत का दोहन करने और देश में एक समृद्ध स्टार्टअप परिवेश बनाने के लिए राज्य स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क अपनी तरह की पहली पहल है। रैंकिंग करने का प्रमुख उद्देश्य बेहतर परिपाटियों की पहचान करने, सीखने और दोहराने के लिए राज्यों को सुविधा प्रदान करना, स्टार्टअप परिवेश को बढ़ावा देने के लिए राज्यों द्वारा नीतिगत कार्यकलाप को उजागर करना और सर्वोत्तम स्टार्टअप परिवेश तैयार करने के लिए राज्यों के बीच प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देना है।

19. **दूरदर्शन पर स्टार्टअप चैंपियन:** पुरस्कार विजेता/राष्ट्रीय स्तर के मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स की कहानियों को कवर करते हुए दूरदर्शन पर एक घंटे का साप्ताहिक कार्यक्रम नामतः स्टार्टअप चैम्पियन कार्यक्रम शुरू किया गया। इसे दूरदर्शन के सभी नेटवर्क चैनलों पर हिन्दी और अंग्रेजी में प्रसारित किया गया है।

20. **स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह:** सरकार राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस अर्थात 16 जनवरी के आस-पास स्टार्टअप इंडिया नवप्रयोग सप्ताह का आयोजन करती है जिसका मुख्य लक्ष्य देश के

प्रमुख स्टार्टअप्स, उद्यमियों, निवेशकों, इन्क्यूबेटर्स, निधीयन इकाइयों, बैंकों, नीति निर्माता और अन्य राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय हितधारकों को उद्यमियता और नवप्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस समारोह में एक साथ लाना था।

*****

अनुबंध-II

दिनांक 29.03.2023 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 4826 के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

28 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार कम से कम एक महिला निदेशक वाले डीपीआईआईटी से मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स का जिला-वार वितरण:

उत्तर प्रदेश के जिले	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स
आगरा	139
अलीगढ़	30
इलाहाबाद	82
अम्बेडकर नगर	3
अमेठी	4
अमरोहा	2
औरैया	38
आज़मगढ़	9
बागपत	6
बहराइच	4
बलिया	9
बांदा	6
बाराबंकी	8
बरेली	64
बस्ती	10
भदोही	4
बिजनौर	12
बदायूं	6
बुलंदशहर	21
चंदौली	11
चित्रकूट	5
देवरिया	16
एटा	3
इटावा	11
फैजाबाद	16
फर्रुखाबाद	3
फतेहपुर	6
फिरोजाबाद	9
गौतम बुद्ध नगर	1433
गाजियाबाद	680
गाजीपुर	14
गोंडा	4

उत्तर प्रदेश के जिले	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स
गोरखपुर	66
हमीरपुर (यूपी)	4
हापुड़	8
हरदोई	8
हाथरस	10
जालौन	4
जौनपुर	8
झांसी	42
कन्नौज	8
कानपुर देहात	10
कानपुर नगर	183
कासगंज	1
कौशांबी	5
खेरी	3
कुशीनगर	3
ललितपुर	6
लखनऊ	704
महाराजगंज	6
महोबा	2
मैनपुरी	1
मथुरा	39
मऊ	2
मेरठ	111
मिर्जापुर	14
मुरादाबाद	43
मुजफ्फरनगर	21
पीलीभीत	1
प्रतापगढ़	10
रायबरेली	6
रामपुर	11
सहारनपुर	39
संभल	3
संत कबीर नगर	1
शाहजहाँपुर	9
शामली	3
सिद्धार्थ नागर	1
सीतापुर	4
सोनभद्र	10
सुल्तानपुर	9
उन्नाव	10

उत्तर प्रदेश के जिले	मान्यता प्राप्त स्टार्टअप्स
वाराणसी	143
कुल योग	**4,240**

***